



# जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नम्बर (सीन)-यू40109आरजे2000एसजीसी०16483

पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस, जोधपुर-342003

फोन नं. : 0291-2748970 फैक्स नं. : 0291-5106121

ईमेल :- secyadmn.jdvvn1@rajasthan.gov.in वेबसाईट :- [www.energy.rajasthan.gov.in/ldVVNL](http://www.energy.rajasthan.gov.in/ldVVNL)

क्रमांक:- जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./सचिव (प्रशासन)जोध./शा.-कार्मिक/का.आ. प्रे०सं० 1272 /दिनांक :- 17/1/2020

## परिपत्र

अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अनुरूप " जोधपुर विद्युत वितरण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) विनियम, 2017" जारी किये गये हैं (जिनमें तकनीकी कामगार भी सम्मिलित हैं)। सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में से सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलों के ही जोविनिनि लि के कार्यालय स्थित हैं।

अतः विनियम संख्या 6 में वर्णित प्रावधानों के सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों से इस आशय के विकल्प पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं कि क्या वे भविष्य में उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में ही कार्यरत रहना चाहते हैं अथवा अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कार्य करना चाहते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कार्यरत निगम कर्मचारियों, जो अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं तथा उक्त अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक हैं, से भी इस बाबत विकल्प पत्र मांगे जा रहे हैं। समस्त इच्छुक कर्मचारी अपने विकल्प पत्र, अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से संबंधित वृत्त कार्यालय के कार्मिक अधिकारी कार्यालय में दिनांक 03 फरवरी, 2020 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. निगम के अनुसूचित क्षेत्र सेवा विनियमों में शामिल अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कामगार सेवाओं के स्वीकृत पदों का अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) में कैंडर विभाजन कर, दोनों क्षेत्रों के लिए पृथकतः स्वीकृत पदों की संख्या को आदेश संख्या जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./सचिव (प्रशासन)जोध./शा.-कार्मिक/का.आ. 585 /प्रे०सं० 1271 / दिनांक :- 17/1/2020 द्वारा जारी कर दिया गया है।
2. निगम में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों से निम्न पदों/संवर्गों पर उक्त अनुसूचित क्षेत्र की नवगठित सेवा में रहने अथवा न रहने के संबंध में संलग्न प्रारूप में विकल्प पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं:-
  - i. अभियांत्रिकी संवर्ग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता एवं इसके समकक्ष तथा निम्न स्तर के सभी पद,
  - ii. मंत्रालयिक संवर्ग,
  - iii. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग,
  - iv. तकनीकी कामगार

127

3. विनियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलो के अनुसूचित क्षेत्रों में सृजित उक्त पदों पर वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा **परिशिष्ट-‘अ’** में दर्शाये अनुसार विकल्प पत्र दिये जाने आवश्यक हैं जिसमें वे इस आशय का विकल्प देंगे कि क्या वे भविष्य में अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत रहना चाहते हैं अथवा अनुसूचित क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते हैं।
4. अनुसूचित क्षेत्र से बाहर कार्यरत निगम के ऐसे कर्मचारी जो अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं तथा सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलो के अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में कार्य करने के इच्छुक हैं, वे **परिशिष्ट-‘ब’** में दिये गये प्रारूप में अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे।
5. अनुसूचित क्षेत्र में उक्त पदों/संवर्गों में कार्यरत अभियांत्रिकी संवर्ग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता एवं इसके समकक्ष तथा निम्न स्तर के सभी पद, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कामगार सेवा के जो कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प पत्र देंगे उन कार्मिकों के स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक उनका स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र के बाहर नहीं की जायेगी।
6. जो कार्मिक गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे उनके आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जायेगा।
7. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित जो कार्मिक, अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देंगे, उनके पदों की गणना रिक्त पदों के विरुद्ध की जाकर पारिणामिक रूप से उपलब्ध रिक्त पदों पर भर्ती की जावेगी तथा भर्ती के पश्चात वैकल्पिक कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने पर ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र के बाहर उपलब्ध पदों पर वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।
8. सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलो के अनुसूचित क्षेत्रों की इन नवगठित सेवाओं हेतु विकल्प पत्र देने एवं उन पर अंतिम रूप से निर्णय होने के पश्चात, अर्थात् पूर्व से ही मौजूद कर्मचारियों में से उक्त नवीन सेवा में सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलो के अनुसूचित क्षेत्रों में अन्तिम रूप से रहने वाले कार्मिकों तथा स्थानान्तरण से आने वाले नये कार्मिकों को शामिल करते हुए पदवार वरिष्ठता सूचियाँ तैयार की जावेगी।
9. अनुसूचित क्षेत्र के अभियांत्रिकी संवर्ग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता एवं इसके समकक्ष तथा निम्न स्तर के सभी पद, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कामगार सेवाओं और उनमें विद्यमान एवं भविष्य में सृजित होने वाले सभी पदों के बाद में (Suffix) कोष्ठक में 'अनु. क्षेत्र' (Scheduled Area) अलग से जोड़ा जावेगा जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में सेवा/पदनाम यथावत रहेंगे।
10. बिना विकल्प पत्र के अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में तथा इसके विपरीत कोई भी स्थानान्तरण किया जाना निषिद्ध है। अनुसूचित क्षेत्र में रहने का विकल्प चुनने वालों को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है।
11. जो कर्मचारी उक्त अनुसूचित क्षेत्र में रहने का विकल्प देते हैं उनका इस विशिष्ट सेवा विनियमों के अन्तर्गत रहने तक उक्त अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जायेगा।
12. नवगठित अनुसूचित क्षेत्र सेवा एक Close cadre होगी। अनुसूचित क्षेत्र के जो कार्मिक अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देंगे, उन्हें किसी भी प्रयोजनार्थ अनुसूचित क्षेत्र की नवगठित सेवा का सदस्य नहीं माना जावेगा क्योंकि विहित प्रक्रिया अनुसार उनके विकल्प के आधार पर उन्हें अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा।
13. अधिसूचित क्षेत्र के स्वीकृत पदों के अनुसार पदोन्नति समिति की बैठकें पृथक से आयोजित कर पदोन्नतियों की जायेगी।

७५

14. अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र, दोनों की रिक्तियों के लिए आरक्षण एवं मेरिट का निर्धारण और उनके रोस्टर रजिस्ट्रों का संधारण पृथक-पृथक होगा।
15. अनुसूचित क्षेत्र की इस नवगठित सेवा से गैर अधिसूचित क्षेत्र सेवा में पदोन्नती के समय अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों की इकजाई पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:-
  - i. चयन वर्ष
  - ii. चयन क्रमांक (यदि चयन संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से हुआ हो)
  - iii. सेवावधि (Length of service)
16. सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलो के अनुसूचित क्षेत्रों में बिन्दु संख्या 2 में दर्शाये गये पदों/संवर्गों पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है चाहे वहाँ कार्यरत कोई कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र में अपना पदस्थापन चाहता है अथवा गैर अनुसूचित क्षेत्र में।  
तथापि गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित केवल उन कर्मचारियों को ही अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत करना है जो सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलो के अनुसूचित क्षेत्रों की नवगठित सेवा में अपना पदस्थापन चाहते हैं तथा ऐसे कर्मचारियों को अपने अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।
17. निगम के कर्मचारियों के लिए सिरोही (आंशिक) व पाली (आंशिक) जिलो के अनुसूचित क्षेत्रों की इस नवगठित सेवा के close cadre में आने एवं बाहर निकलने हेतु विकल्प पत्र भरने का यह प्रथम एवं अन्तिम अवसर है। नियत अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी कर्मचारी के ऐसे किसी भी विकल्प/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. जिन कर्मचारियों को जोधपुर विद्युत वितरण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2017 (जिनमें अब तकनीकी कामगार भी सम्मिलित हैं) के विनियम संख्या 6 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की सेवा में उनके द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर समाहित किया जावेगा, उनकी सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से निम्न प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है:-

(सेवा पुस्तिका में 'प्रविष्टि' का प्रारूप)

“जोधपुर विद्युत वितरण निगम अनुसूचित क्षेत्र अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2017 एवं निगम के परिपत्र क्रमांक जा.वि.वि.नि.लि/प्र.नि./सचिव (प्रशासन)जोध. /शा.-कार्मिक/का.आ. / प्रे०सं० 1272 /दिनांक :- 17/11/2020 की अनुपालना में श्री/सुश्री ..... (कर्मचारी का नाम), ..... ( पुत्र/पुत्री), ..... (पद नाम) द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन (absorbtion) विनियम, 2017 के विनियम-6 के तहत अनुसूचित क्षेत्र की उक्त सेवा में ..... (पद का नाम) पर किया जा चुका है।”

हस्ताक्षर मय कार्यालय सील

19. सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही पात्र होंगे, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे।
20. सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रयोजनार्थ “अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-

